UPMO050015082022

न्यायालय एफ. टी. सी. सिविल जज (सी. डि.) मुरादाबााद,

पीठासीन अधिकारी– (अर्चना सिंह), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) UP02630

सिविल वाद सं0–772/2022

अरविन्द सिंह बनाम केनरा बैंक शाखा एम0एम0 ई0 कांठ रोड मुरादाबाद।

दिनांक–03.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रपत्र सं0–16ग प्रस्तुत कर बल दिया गया है कि उक्त केस वादी द्वारा योजित किया गया। उक्त वादी का प्रतिवादी बैंक से सेटिलमेंट हो गया है। इस कारण इस केस को चलाना नहीं चाहता है। अतः तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद को वापस किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित हुआ कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वाद के पक्षकारगण के मध्य आपसी समझौता हो गया है। इसलिये वादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी द्वारा नया वाद दायर करने की अनुमति भी नहीं चाही गयी है। वादी अपने वाद को चलाने एवं सिद्ध करने के लिये स्वयं उत्तरदायी होते हैं उन्हें वाद चलाने हेतु विवश नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र 16ग स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 16ग न्यायहित में स्वीकृत करते हुये वादीगण का वाद वापस किया जाता है। वादीगण वादपत्र में दर्शित वादहेतुक के आधार पर नया वाद लाने से प्रविरत रहेंगे।

तदोपरांत पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अर्चना सिंह)
सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0,
मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड यू0पी02630